भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 RO/17/2016/STGJH/SEOTH/RU–III

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003

दिनांक : 26/10/2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)

2. सचिव,
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
झारखण्ड सरकार
रांची (झारखण्ड)

3. उपायुक्त,
ज़िला–रांची,
रांची (झारखण्ड)

4. अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक,
एच.ई.सी.एल, हटिया,
रांची (झारखंड)

विषयः 2013 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनस्थापन कानून धारा 24 उपधारा 2 के तहत एच.ई.सी.एल. 1960 में अधिग्रहित भूमि को रैयतों को सौंपने के संदर्भ में विस्थापित पुनर्वासित गांवों का मयूटेशन और ओनरशिप दिलाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डा0 रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 10.09.2016 एवं 11.09.2016 को रांची जिले के पुनर्वास ग्रामों के दौरे एवं दिनांक 12.09.2016 को एच.ई.सी.एल. प्रबंधन व जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी.पी.शाही)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011,मध्य प्रदेश को सूचनार्थ।
2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को–ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची–834002 (झारखंड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. श्री राहुल उरांव एवं अन्य, एच.ई.सी., हटिया विस्थापित परिवार समिति, तिरिल, लाबेद, कुटे, नया सराय, आनी, धुर्वा–834004

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (एच.ई.सी.एल.), हटिया, रांची की स्थापना हेतु विस्थापित किये गये परिवारों की स्थिति के अवलोकन हेतु डॉ. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 10-09-2016 एवं 11-09-2016 को रांची जिले के विस्थापित ग्रामों के दौरे एवं दिनांक 12.09.2016 को एच.ई.सी.एल. प्रबंधन व जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की रिपोर्ट।

डॉ. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 10-09-2016 एवं 11-09-2016 को एच.ई.सी.एल., हटिया, रांची की स्थापना हेतु विस्थापित किये गये परिवारों की स्थिति के अवलोकन हेतु रांची जिले के पुनर्वास ग्रामों का दौरा किया। दौरे में श्री आर.के. दुबे तथा श्री एन.एम. त्रिपाठी सहायक निदेशक भी उनके साथ थे। आयोग मुख्यालय ने इस संबंध में अपने बेतार संदेश संख्या RO/17/2016/STGJH/SEOTH/RU-III दिनांक 06-09-2016 के द्वारा झारखंड राज्य के मुख्य सचिव, सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उपायुक्त, रांची, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एच.ई.सी.एल., हटिया, रांची तथा विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधियों को दौरे की सूचना दी थी और संबंधित अधिकारियों को पुनर्वास ग्रामों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

आयोग के दल ने दिनांक 10-09-2016 को नया सराय, आनी तथा लाबेद ग्रामों का दौरा किया और अगले दिन सतरंजी, लालखटंगा, पुगडू-बेरमात एवं नया नचियातू, ग्राम-चेटे में ग्रामवासियों से मूल ग्राम से विस्थापन के बाद पुनर्वास ग्रामों में उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा उनकी जीवन दशा का अवलोकन किया। ग्रामवासियों में अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति के विस्थापित थे।

एच.ई.सी.एल. विस्थापित नया सराय के ग्रामवासियों से चर्चा करते हुए डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।

रामेश्वर उराँव.

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एच.ई.सी.एल. विस्थापित नचियातु के ग्रामवासियों से चर्चा करते हुए डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।

विस्थापित ग्रामवासियों ने आयोग को निम्नलिखित जानकारियां दी और समस्याओं से अवगत कराया:-

1. एच.ई.सी.एल. की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1957-58 से 1959-60 तक तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा किया गया था। इस कम्पनी की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। Deed of conveyance वर्ष 1996 में किया गया। विस्थापितों को मुआवजे के रूप में रूपये 3200/-से रूपये 4200/- प्रति एकड़ राशि का भुगतान किया गया है। यह फसल हेतु क्षतिपूर्ति थी या भूमि की एवज में दी गई राशि थी, यह स्पष्ट नहीं है। उन्हें मकान, पेड़ पौधों, कुओं आदि की कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली।

2. विस्थापितों को उनके मूल गांव के ही नाम के पुनर्वास स्थलों पर बसने के लिए 10 से 20 डेसिमल भूमि प्रति परिवार उपलब्ध कराई गई जिसके लिए उन्हें 368/- रूपये सरकार के पास जमा कराना पड़ा। उन्हें जमीन के एवज में जमीन नहीं दी गई। उन्होंने उक्त भूमि पर मकान भी अपने व्यय पर बनाया है। 60 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी उन्हें आज तक भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया है क्योंकि रजिस्टर-2 में नाम दर्ज नहीं हुआ है। रसीद न काटे जाने के कारण विभिन्न योजनाओं के लाभ से वे वंचित हैं और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में बढ़ोतरी के कारण कई सदस्य वयस्क हो गए हैं और बाल.बच्चेदार होने के कारण उन्हें घर बनाने के लिए पुनर्वास स्थलों पर दी गई पर 10 से 20 डेसिमल भूमि कम पड़ रही है तथा जमीन के मालिकाना हक के कागज़ात नहीं होने के कारण उन्हें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा–वृद्धावस्था, विधवा पेंशन आदि से भी वे वंचित हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास विस्थापित प्रमाण पत्र भी नहीं है।

3. एच.ई.सी.एल. द्वारा भूमि अधिग्रहण करते समय आदर्श ग्राम विकसित करने का वादा किया गया था पर एक भी ग्राम आदर्श ग्राम को नहीं बनाया गया।

4. एच.ई.सी.एल. द्वारा सभी विस्थापितों के परिवार के 1 सदस्य को नौकरी दी जानी थी पर बहुत से परिवारों में किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं दी गई। कुछ परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी गई थी किंतु उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य परिजन को नौकरी नहीं मिली जबकि परिवार बढ़ चुका था और एच.ई.सी.एल. की स्थापना के लिए उसकी पूरी जमीन ली जा चुकी थी। एच.ई.सी.एल. द्वारा जिन विस्थापितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई थी, उनका सेवा काल में देहांत होने पर परिवार किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर भी नौकरी नहीं दी गई।

5. विस्थापितों को जिन ग्रामों में बसाया गया है वहाँ उन्हें रहने के लिए बुनियादी सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई हैं। कुछ ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय हैं किंतु माध्यमिक तथा उससे उच्चतर विद्यालयों में अध्ययन के लिए बच्चों को कई किलोमीटर दूर स्थित विद्यालयों/कॉलेजों में जाना पड़ता है। पुनर्वास ग्रामों में सड़क, बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। कई आदिवासी परिवारों को भूमिहीन हो जाने के बावजूद बी.पी.एल राशन कार्ड नहीं दिया गया। कई पुनर्वास ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं और जिन ग्रामों में उपलब्ध भी हैं, वहां चिकित्सकों, पैरा.मेडिकल स्टाफ एवं दवाइयों की कमी है। सभी पुनर्वास ग्रामों में शौचालय भी नहीं बनवाए गए हैं तथा लोग शौच के लिए खेतों में जाते हैं।

6. विस्थापितों ने आयोग को जानकारी दी कि कौशल विकास एवं रोजगार देने हेतु स्थापित CTI/ITI में विस्थापितों के परिजनों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। जिन सदस्यों ने CTI/ITI में प्रशिक्षण लिया, वे भी बेरोजगार हैं या ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं। CTI/ITI में प्रवेश पाने के लिए 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के कारण विस्थापितों के लिए प्रवेश पाना बहुत कठिन हो जाता है तथा उन्हें अंकों में कोई छूट भी नहीं मिलती है जबकि उन्होंने एच.ई.सी.एल. के लिए अपनी जमीन दी है और अधिकांश विस्थापित अनुसूचित जनजाति के भी हैं। अतः विस्थापितों के परिजनों हेतु CTI/ITI में प्रवेश पाने के लिए अंकों में छूट और आरक्षण दिया जाना चाहिए।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. एच.ई.सी.एल. द्वारा पूर्व में विस्थापितों की समस्याओं की सुनवाई हेतु लायजन सेल कार्यरत था जिसे बाद के वर्षों में बंद कर दिया गया। अतः उनकी समस्याओं की सुनवाई हेतु कोई शिकायत निवारण व्यवस्था उपलबध नहीं है। अतः एच.ई.सी.एल. को बंद किए गए लायजन सेल को फिर से प्रारम्भ करना चाहिए।

8. अपने मूल ग्राम से विस्थापित लोगों, विशेषकर आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थानों को संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे सरना, मसना, कब्रिस्तान, खेल-कूद स्थल, नृत्य स्थल (अखाड़ा) आदि का सीमांकन कर घेराबंदी की जानी चाहिए तथा वहाँ तक आने-जाने पर रोक न लगाई जाए।

9. ग्राम लाबेद में एच.ई.सी.एल. एवं हटिया डैम बनाने के लिए पी.एच.डी. के लिए 30.89 एकड़, एच.ई.सी. टाउनशिप के लिए 72.37 एकड़ तथा सी.आर.पी.एफ कैम्प के लिए 101.26 एकड़ कुल रकबा 204.52 एकड़ भूमि अर्जित किया जाना बताया गया है जबकि मौजे का कुल रकबा 342.20 एकड़ भूमि है। शेष भूमि की मालगुजारी अंचल पदाधिकारी द्वारा नहीं काटी जा रही है तथा वे इस भूमि को एच.ई.सी.एल. का बताते हैं और आदिवासी रैयतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते हैं। ग्रामवासियों को अधिग्रहण की जानकारी नहीं है। इस प्रकार Land acquisition किए बिना टाउनशिप, पी.एच.डी. एवं CRPF को भूमि आवंटन किया गया है। उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। वे गांव में ही रह रहे हैं। यदि उनकी भूमि अधिग्रहित की गई है/की जा रही है तो उन्हें नई दर से मुआवजा दिया जाए। सी.आर.पी.एफ द्वारा उन्हें दी गई जमीन की घेराबंदी कर ली गई है तथा उन्होंने ज्यादा भूमि घेर ली है। गांव में पक्की सड़क भी नहीं है और सी.आर.पी.एफ. उन्हें अपने धार्मिक स्थलों पर जाने भी नहीं देती।

10. एच.ई.सी.एल. द्वारा Deed of conveyance से इतर प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि को विभिन्न संस्थाओं को Sub-lease दिया गया है जो कि नियम के खिलाफ है। कम्पनी द्वारा इसके एवज में काफी मूल्य लिया जा रहा है। अतः अतिरिक्त भूमि को मूल मालिकों को वापस किया जाना चाहिए।

11. पुनर्वास ग्राम नचियातू में विस्थापितों को वन भूमि पर बसाया गया है। उन्हें भूमि का आवंटन पत्र नहीं दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनके आधिपत्य की पूरी भूमि का अधिकार पत्र दिया जाना चाहिए न कि सिर्फ उतनी भूमि का, जितने पर उनका मकान बना है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. नियमानुसार यदि भूमि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिए भू-अर्जन किया गया था तो पांच वर्ष बाद भूमि मूल भूमि स्वामी को वापस की जानी चाहिए थी किंतु एच.ई.सी.एल. के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अतः विस्थापितों को भूमि वापस की जानी चाहिए।

एच.ई.सी.एल., हटिया, रांची के प्रबंधन के साथ विस्थापितों की समस्याओं के संबंध में चर्चा।

दिनांक 12-09-2016 को प्रातः 11:00 बजे डॉ. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने एच.ई.सी.एल. में श्री अविजित घोष, अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से श्री अर्जुन मांझी, जिला कल्याण अधिकारी, रांची, श्री अंजनी कुमार मिश्रा, अतिरिक्त कलेक्टर, रांची और श्री सौरभ प्रसाद, जिला भू-अर्जन अधिकारी, रांची भी उपस्थित थे। विस्थापितों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में सर्वप्रथम एच.ई.सी.एल. की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम्पनी की स्थापना, भू-अर्जन तथा पुनर्वास के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई। वर्तमान में कम्पनी की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा सी.एस.आर. के तहत चल रहे कार्यों से अवगत कराया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विस्थापितों की देखभाल एच.ई.सी.एल. की जिम्मेदारी है तथा उन्हें पुनर्वास ग्रामों में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदर्श स्थिति में जिस परियोजना के लिए भू-अर्जन किया गया है, उसे विस्थापितों को नौकरी, फसल, जमीन और मकान का मुआवजा, रियायती दर पर बुनियादी सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना चाहिए जैसा कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना में किया गया है।

एच.ई.सी.एल. प्रबंधन से चर्चा करते हुए डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक में विस्थापितों की सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एच.ई.सी.एल. प्रबंधन से निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिस पर प्रबंधन ने भी सहमति प्रकट की:

1. विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एच.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा पूर्व की भांति लायजन सेल स्थापित किया जाएगा। यह सेल पुनर्वास ग्रामों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए कार्य करेगा।
2. सी.एस.आर. के तहत चल रहे कार्यों में विस्थापितों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत चलने वाले नर्सिंग पाठ्यक्रमों में विस्थापितों के आश्रितों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।
3. एच.ई.सी.एल. ट्रेनिंग इंस्टीट्युट (CTI/ITI) में प्रवेश हेतु विस्थापितों के आश्रितों के लिए अलग से आरक्षण करेगा जिसमें 60 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता नहीं रहेगी ताकि इस श्रेणी के पात्र लोग कौशल विकास के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकें अथवा स्वरोजगार कर सकें।
4. एच.ई.सी.एल. द्वारा 18 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को स्कूल/कॉलेज खोलने हेतु लीज पर भूमि दी गई है, उन संस्थानों में विस्थापितों के आश्रितों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाएंगी तथा एच.ई.सी.एल. प्रबंधन शीघ्र ही संबंधित प्राचार्यों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें प्रवेश से वंचित न किया जाए।
5. ग्राम लाबेद में यदि भू-अर्जन किया गया है तो उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर पारदर्शिता हेतु ग्रामवासियों को जानकारी सार्वजनिक की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि सी.आर.पी.एफ कैम्प और पी.एच.डी. के लिए कितनी भूमि दी गई है और कितनी भूमि अर्जित नहीं की गई है। विस्थापितों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोगों के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थानों को संरक्षण किया जाएगा। जैसे सरना, मसना, कब्रिस्तान, खेल-कूद स्थल, नृत्य स्थल (अखाड़ा) आदि का सीमांकन कर घेराबंदी की जाएगी तथा वहाँ तक आने-जाने पर रोक नहीं लगाई जाएगी।
6. पुनर्वास ग्रामों में सड़क, बिजली तथा पेय जल प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे।
7. एच.ई.सी.एल. द्वारा महिंद्रा, डेयरी आदि को लीज पर भूमि आवंटित की गई है किंतु उनके द्वारा विस्थापितों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है। एच.ई.सी.एल. संबंधित फर्मों के मालिकों से चर्चा के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि कुछ प्रतिशत नौकरियां विस्थापितों के आश्रितों को भी दी जाएं।

बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड सरकार से विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने की सलाह दी:

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. रांची जिले के भू-अर्जन अधिकारी सभी ग्रामों के विस्थापितों के नाम, अर्जित की गई भूमि के रकबे तथा उन्हें दिए गए मुआवजे का डाटाबेस (database) तैयार कर सार्वजनिक करेंगे ताकि विस्थापित तथा उनके आश्रित परिजन दस्तावेजों के अभाव में वंचित न हों। जिन विस्थापितों के पास पुनर्वास ग्राम में आवंटित भूमि के दस्तावेज नहीं हैं, खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, उन्हें लिखित आवेदन पर दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे।
2. सभी संबंधित अंचल अधिकारी माह अक्टूबर, 2016 की समाप्ति से पूर्व सभी पुनर्वास ग्रामों में कैम्प लगाएंगे और रजिस्टर-2 में संबंधित विस्थापित और उनके परिजनों का नाम दर्ज करेंगे और रसीद काटेंगे।
3. उक्त कैम्प में सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि पात्रतानुसार वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा पेंशन आदि योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
4. नचियातु, तिरिल और अन्य ग्रामों में वन भूमि पर बसाए गए विस्थापितों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकार पत्र दिए जाएं। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और प्राप्त दावों के परीक्षण के बाद व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावे मान्य किए जाएं।
5. शासकीय योजनाओं के तहत पेय जल, सड़कों तथा शौचालयों का निर्माण कराया जाए। नया सराय में हाई स्कूल न होने के कारण बच्चों को पढ़ाई में समस्या होती है। अतः वहां हाई स्कूल बनाया जाए।
6. ग्राम लाबेद में भू-अर्जन के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि वहां भू-अर्जन किया गया है या नहीं और यदि किया गया है तो कब और कितनी भूमि ली गई है। साथ ही किन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है और यदि अब तक नहीं की गई है तो उन्हें नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा पाने की पात्रता है। जो भूमि अर्जित नहीं की गई है उसके संबंध में भू-स्वामियों को स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि अर्जित न की गई भूमि पर एच.ई.सी.एल. अथवा उन संस्थानों का कोई अधिकार नहीं है जिसे एच.ई.सी.एल. ने लीज पर दिया है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi